

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एक 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर. दिनांक:05.07.2017

आवंटन आदेश माह अगस्त, 2017 तक
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली के द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1-8/2013-बी.पी.-III दिनांक 26.09.2013 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु माह अगस्त, 2017 तक हेतु गेहू का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाता है।

संभागीय जिला मुख्यालय हेतु आवंटित मात्रा का संबंधित जिला रसद अधिकारी (शहर) एवं जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) समन्वय स्थापित कर जिला कलक्टर की अनुशंसा के आधार पर उठाव एवं वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस विभाग द्वारा गेहू उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह अगस्त, 2017 तक का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गेहू का आवंटन उचित मूल्य दुकानवार किया जा रहा है। अतः समर्पित गेहू की मात्रा का विवरण जिलेवार ना भिजवाकर उचित मूल्य दुकानवार भिजवावे, ताकि समर्पित मात्रा का उचित मूल्य दुकानवार समायोजन कर आगामी माह में समायोजित किया जा सके। साथ ही समर्पित मात्रा की प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि०, जयपुर एवं तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(प्रीति माथुर)

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि०, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टॉक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह अगस्त, 2017 तक हेतु आवंटित गेहू की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करावे। गेहू उठाव की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात बिना किसी ठोस वजह के गेहू उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 05.07.2017

आवंटन आदेश माह अगस्त, 2017 तक
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)


अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली के द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1-8/2013-बी.पी.-III दिनांक 26.09.2013 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु माह अगस्त, 2017 तक हेतु गेहूँ का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाता है।

संभागीय जिला मुख्यालय हेतु आवंटित मात्रा का संबंधित जिला रसद अधिकारी (शहर) एवं जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) समन्वय स्थापित कर जिला कलक्टर की अनुशंसा के आधार पर उठाव एवं वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस विभाग द्वारा गेहूँ उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह अगस्त, 2017 तक का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गेहूँ का आवंटन उचित मूल्य दुकानवार किया जा रहा है। अतः समर्पित गेहूँ की मात्रा का विवरण जिलेवार ना भिजवाकर उचित मूल्य दुकानवार भिजवावे, ताकि समर्पित मात्रा का उचित मूल्य दुकानवार समायोजन कर आगामी माह में समायोजित किया जा सके। साथ ही समर्पित मात्रा की प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि०, जयपुर एवं तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(प्रीति माथुर)

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि०, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह अगस्त, 2017 तक हेतु आवंटित गेहूँ की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करावे। गेहूँ उठाव की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात बिना किसी टोस वजह के गेहूँ उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।


उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु जिलेवार आवंटन
अगस्त, 2017

		मात्रा मेट्रिक टन	
क्र.सं.	नाम जिला	प्रतिमाह आवंटित मात्रा	(मै.)
1	2	3	
1	अजमेर	5708	
2	अलवर	9775	
3	बांसवाडा	7081	
4	बारां	3816	
5	बाडमेर	7369	
6	भरतपुर	5650	
7	भीलवाडा	5887	
8	बीकानेर	5074	
9	बूंदी	2450	
10	चित्तौडगढ	4161	
11	चूरु	5423	
12	दौसा	4265	
13	धौलपुर	3094	
14	डूंगरपुर	5483	
15	श्रीगंगानगर	4189	
16	हनुमानगढ	3786	
17	जयपुर	10527	
18	जैसलमेर	1644	
19	जालोर	4789	
20	झालावाड	4024	
21	झुन्झुनू	3610	
22	जोधपुर	8452	
23	करौली	3758	
24	कोटा	4011	
25	नागौर	8042	
26	पाली	5100	
27	प्रतापगढ	2871	
28	राजसमन्द	3196	
29	स.माधोपुर	3392	
30	सीकर	6541	
31	सिरोही	3349	
32	टोंक	3558	
33	उदयपुर	10531	
योग		170606	


 उपायुक्त (स्वयंसेवा एवं पदेन)
 शासन एवं सचिव, राजस्थान, जयपुर